मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है. संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ण) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्ध विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:— मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

"(त) जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३५ में, खण्ड (ध) में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (आठ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्ध विराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:— मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

"(न) जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता एवं हर घर में शौचालय होना पहली प्राथमिकता है. इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से, स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिए यह निरर्हता अन्त:स्थापित की जाना आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके आवासीय परिसर में फ्लश शौचालय या जलवाहित शौचालय नहीं है, स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन में अभ्यर्थी होने के लिए अपात्र होगा. अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ की धारा १७ को तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की धारा ३५ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २५ जुलाई, २०१६

माया सिंह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) से उद्धरण.

* * * * *

धारा १७. पार्षद या महापौर होने के लिए व्यापक निरर्हताएं * * *

(१) (**ण**)—जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, छह मास से अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों.

* * * * *

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) से उद्धरण.

* * * * *

धारा ३५. अभ्यार्थियों की निरर्हताएं * * * *

(**घ**) (**आठ**) परिषद् को कोई वस्तु उतनी रकम के लिए, जो किसी शासकीय वर्ष में पचास रुपए से या ऐसी और अधिक रकम से जो दो सौ रुपए से अधिक न हो, जैसी परिषद् राज्य सरकार की मंजूरी से, इस संबंध में नियत करे, यदा कदा भाड़े पर देने या परिषद् से भाड़े पर लेने में अंश या हित रखता है.

* * * * *

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.